वित्तीय स्वीकृति

संख्या-36/2018/523/एक-5-2018-28/2017

प्रेषक,

किंजल सिंह ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : : दिनांक 23 मार्च, 2018**

विषयः-जनपद मैनपुरी की तहसील करहल के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1502/12-भवन-2/2013, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी की तहसील करहल के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1597/एक-5-2006-04/2006, दिनांक 19 जुलाई, 2006 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 164.17 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख तथा संख्या-1522/एक-5-2015-04/2006, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 114.17 लाख अर्थात मानकीकृत लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने के अनुक्रम में उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 438.87 लाख की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त् अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि तृतीय/अन्तिम किश्त के रूप में **रू0 274.70 लाख (रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र)** अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0 (पूर्ववर्ती पैकफेड) को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय।

(4) स्वीक़त धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट रन न हो। अत इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नही की जायेगी।

(6) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स/प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(9) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।

(11) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रायोजना की आकलित लागत में यथावत सम्मलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था को होगा ।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है । मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

(13) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावति विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों केा यथावत मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(14) **<u>प्रायोजनान्तर्गत सम्पन्न कराये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता व प्रगति के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा गठित लोक निर्माण विभाग के</u>**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>अभियन्तागण की टीम से जॉच कराकर कार्य की गुणवत्ता व प्रगति के संबंध में आख्या/रिपोर्ट शासन को 10 दिन में उपलब्ध करायी जाय।</u>

(15) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 का पूर्णत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कराया जायेगा। शेष शर्ते मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-224/दस-2018, दिनांक 22 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
किंजल सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-36/2018/523/एक-5-2018-28/2017,तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, मैनपुरी।
6- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी सघ लिमिटेड (पूर्ववर्ती पैकफेड)/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।